न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 138/2020

प्रार्थीगण :-

1. मंगलाराम पुत्र नेमारामजी कौम चौधरी
2. चेलाराम पुत्र नेमारामजी कौम चौधरी
3. शंकरराम पुत्र नेमारामजी कौम चौधरी
   निवासीयान कानना तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :-. 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थितिः- 1. श्री चेलाराम कुमावत वकील प्रार्थीगण
2. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

'निर्णय'

दिनांक :- 08.04.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर** संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि सरहद मौजा कानाना में खेत खसरा संख्या 956/619 रकबा 08.03 बीघा व खसरा संख्या 955/619 रकबा 05.19 बीघा आया हुआ है। खसरा संख्या 956/619 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 ता 3 है तथा खसरा संख्या 956/619 का खातेदार प्रार्थी संख्या 01 मंगलाराम है। प्रार्थीगण सगे भाई है। दोनो खसरो एक दूसरे के जोडा जोड अवस्थित है। जिसपर प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा कास्त रहा है, हल्का पटवारी ने मौके पर आकर भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा कास्त अनुसार तरमीम नहीं कर मनमर्जी से प्रार्थीगण को बिना सुने उनकी पीट पीछे गलत तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कर दी जबकि मौके पर की गयी अशुद्व तरमीम के अनुरूप प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा कास्त नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व नक्शा में की गयी अशुद्व तरमीम को दुरूस्त कर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो व खसरा संख्या 955/619 व 956/619 की तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन को जारी किया गया । विप्रार्थी सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुए। तहसीलदार पचपदरा को **कमांक/राजस्व/2021/53** दिनांक **14.1.2021** [illegible] मौके की स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हेतु तहरीर जारी की गयी। [illegible] पचपदरा द्वारा पत्रांक **कमांक/भू0अ0/2021/789** दिनांक 27.3.2021 के [illegible] रिपोर्ट मय मौका फर्द , ग्राम कनाना के खसरा संख्या 955/619 व 956/619 का सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नजरी नक्शा तैयार कर संलग्न परिशिष्ट " ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया तथा प्रकरण का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2072–75 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' एवं तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ख.स. 955/619 व 956/619 की जरिये जी.पी.एस. तथा लट्ठा ट्रेस से सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान अनुसार ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वर्णित खसरों का मौका व रैकर्ड अनुसार मिलान नहीं हुआ तथा कब्जे की स्थिति तरमीम से भिन्नता पाई गई। सीमाज्ञान अनुसार मौजा कानाना के खसरा सं. 955/916 व 956/619 के खातेदारों का कब्जा खसरा संख्या 952/619 व 954/619 के पूर्ण तथा 953/619 व 956/619 के आंशिक भाग पर कब्जा है। वर्तमान लट्ठा ट्रेस की तरमीमों को परिशिष्ट 'अ' अनुसार किया हुआ है तथा खसरा संख्या 952/619, 953/619, 954/619, 955/619, 956/619 की मौके अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा तरमीम दुरूस्ती करने हेतु सहमति प्रकट की गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर मौजा कानाना के खसरा संख्या 952/619, 953/619, 954/619, 955/619, 956/619 की मौके पर माफिक कब्जे एवं काश्त की स्थिति अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' में तरमीम दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती एवं अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा तरमीम दुरूस्ती के लिए नजरी नक्शा प्रस्तावित परिशिष्ट "ब" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner